

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी, दिवांशु शर्मा, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -152/2010 (वाद)

दायर दिनांक -17/02/2010

निर्णय दिनांक - 26/02/2020

अनवान

1. सम्पतलाल पिता भुरालाल जाति चण्डालियों निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. शेषमल पिता भुरालाल जाति चण्डालियों निवासी रेलमगरा तहसील मावली
2. कालु पिता डूंगा जाति जाट निवासी जीवाखेडा तहसील रेलमगरा
3. मोहन पिता डूंगा जाति जाट निवासी जीवाखेडा तहसील रेलमगरा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द


प्रतिवादी

वाद बाबत् विभाजन

: निर्णय :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि ग्राम रेलमगरा में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 से 03 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 2142 रकबा 00-10 बिस्वा स्थित है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादी का हिस्सा निहित है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस अधिवक्ता पक्षकारान ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाना है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजीसंख्या	रकबा	लगान
1.	सम्पत लाल पिता भुरा लाल महाजन सा. देह खातेदार	2142 मीन	00-05	0-12
	योग:-	किता- 01	00-05	0-12
2.	कालु पिता डूंगा 2/3 मोहन पिता डूंगा 1/3 जाट सा. देह जीवाखेडा खातेदार	2142/1	00-05	0-13
	योग:-	किता-01	00-05	0-13


सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनंरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2020 को मेरे द्वारा लिखावाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(दिवांशु शर्मा)

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर

(उप खण्ड अधिकारी)

रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठारसीन अधिकारी :- दिव्याशु शर्मा आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या :-152/2010
अनवान

वादी पक्ष :-

1. सम्पतलाल पिता भुरालाल जाति चण्डालियों निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :-

1. शेषमल पिता भुरालाल जाति चण्डालियों निवासी रेलमगरा तहसील मावली
2. कालु पिता डूगा जाति जाट निवासी जीवाखेडा तहसील रेलमगरा
3. मोहन पिता डूगा जाति जाट निवासी जीवाखेडा तहसील रेलमगरा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

दावा :- वाद बाबत् विभाजन

वादी की ओर से :- सी.एस.एस. , अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से :- एस.के.मेहता, अधिवक्ता

में इस आशय मे दिनांक 26/02/2020 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम रेलमगरा में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 से 03 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 2142 रकबा 00-10 बिस्वा स्थित है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादी का हिस्सा निहित है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस अधिवक्ता पक्षकारान ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाना है:-

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी,
रेलमगरा)

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	सम्पत लाल पिता भुरा लाल महाजन सा. देह खातेदार	2142 मीन	00-05	0-12
	योग:-	किता- 1	00-05	0-12
2.	कालु पिता डूंगा 2/3 मोहन पिता डूंगा 1/3 जाट सा. देह जीवाखेडा खातेदार	2142/1	00-05	0-13
	योग:-	किता-01	00-05	0-13

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 26/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।



WSL

(दिवांशु शर्मा)
सहायक कलेक्टर
(सुपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा